भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2484

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

पेट्रोल और डीजल

† 2484. श्री सैय्यद ईमत्याज़ ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल पर 48.2 प्रतिशत और डीजल पर 38.9 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये कर इस आधार पर लगाए जा रहे हैं कि कैरोसीन और एल॰पी॰जी॰ पर राज सहायता दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो पेट्रोल और डीजल पर करों के माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना धन संग्रहित किया गया है और कैरोसीन और एल॰पी॰जी॰ पर कितनी राज सहायता का भुगतान किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल का मूल्य प्रति व्यक्ति जी॰डी॰पी॰ का 23.5% है; और

(च) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते मूल्यों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और विशेष रूप से एल॰पी॰जी॰ पर राज सहायता को स्वैच्छिक रूप से त्यागने के बाद कर में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख) : 01 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर कीमत की स्थिति (दिल्ली स्थित आईओसीएल के अनुसार) को नीचे दर्शाया गया हैः

क्रम सं.	**अवयव**	**पेट्रोल**	**डीजल**
1.	डीलरों से लिया जाना वाला मूल्य (उत्पाद शुल्क और वैट को छोड़कर)	33.94	38.48
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [A]	17.98	13.83
3.	डीलर का कमीशन	3.54	2.49
4.	राज्य वैट [B]	14.98	9.47
5.	खुदरा बिक्री मूल्य [C]	70.44	64.27
6.	**कुल कर प्रतिशत में [(A+B)*100/C]**	**46.8**	**36.3**

दिल्ली में पेट्रोल पर कुल कर 46.8 प्रतिशत और डीजल पर कुल कर 36.3 प्रतिशत लगाया जाता है, इसी प्रकार, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य वैट भिन्न होते हैं और उसी के अनुसार सकल कर में बदलाव किए जाते हैं।

(ग) : पेट्रोल और डीजल पर केवल सब्सिडी के आधार पर कर नहीं लगाया जा रहा है।

(घ) : पेट्रोल और डीजल के माध्यम से संग्रहित सकल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 (पी)
पेट्रोल	71,916	74,431	68,929
डीजल	151,214	150,836	144,471

स्रोतः DG-System-CBIC/PrCCA

2016-17 से पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी से संबंधित सब्सिडी/वसूली में कमी का ब्यौरा (एक्चूरियल आधार पर) नीचे दिया गया हैः

(करोड. रुपयों में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 (पी)**
पीडीएस केरोसीन	7,595	4,672	5,950
कुल डीबीटीएल से संबंधित सब्सिडी	12,905	20,905	31,539
कुल पीएमयूवाई संबंधित संब्सिडी	2,999	2,559	5,683
डीबीटीके सब्सिडी	11	113	117
कुल सब्सिडी/वसूली में कमी	**23,510**	**28,249**	**43,289**

(ङ) : ठीक वैसा ही जैसा कि ऊपर दिया गया है।

(च) : दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से सरकार ने क्रमशः पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बाजार निर्धारित बना दिया है। तभी से सार्वजनिक क्षेत्रीय तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएमसी) अतर्राष्ट्रीय उत्पादों की कीमतों और अन्य बाजारू स्थितियों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में यथोचित निर्णय ले रही हैं। सरकार ग्राहकों के लिए सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसीन के खुदरा बिक्री मूल्य को व्यवस्थित कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमतों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तेल विपणन कम्पनियाँ खुदरा बिक्री कीमतों के बारे में कोई भी निर्णय विभिन्न संदर्भों पर विचार करने पश्चात ही लेती हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद कीमतें, विनिमय दर, कर संरचना, उतराई भाड़ा और अन्य लागते भी आती हैं।

जहाँ तक सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी (प्रत्येक परिवार के लिए 12 सिलेन्डर प्रतिवर्ष की ऊपरी सीमा तक) और पीडीएस केरोसीन की बात है, सरकार इनकी कीमतों को सुव्यवस्थित कर रही है जिससे कि साधारण व्यक्ति को तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से सुरक्षित रखा जा सके और उनको घरेलू मुद्रास्फीति से भी बचाया जा सके और ग्राहकों को ये उत्पाद रियायती दर पर मिलते रहें। हालांकि बिना सब्सिडी वाली घरेलू एलपीजी की कीमतों को तेल विपणन कम्पनियाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार निर्धारित करती हैं।

*****